



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2893/वि०स०/संसदीय/81(सं)/2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 18 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023 की धारा 4 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023, की धारा 4 उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-
“(क) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर हो या रहा हो; या”

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

विभिन्न विभागों यथा उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आदि के लिए पारदर्शी एवं निष्पक्ष रीति से परीक्षाएँ संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) के अधीन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की विशाल कार्य संरचना, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परीक्षा प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, और ईमानदारी के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध परीक्षाएँ संचालित करने के लिए एक कुशल और अनुभवी व्यक्तित्व की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करके अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय

मंत्री,

उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 275/XC-S-1-25-27S-2025
Dated Lucknow, December 30, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Shiksha Seva Chayan Ayog (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION
(AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

to amend the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Act, 2025. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of November, 2025.

2. In sub-section (2) of Section 4 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 15 of 2023

“ (a) is holding or has held the post of Principal Secretary to the State Government or a post equivalent thereto; or”

3. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in respect of the provisions made by this Act, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient: Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving U.P. Ordinance no. 15 of 2025

4. (1) The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission has been constituted under the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023) to conduct examinations in a transparent and fair manner for various departments like the Higher Education Department, Secondary Education Department, Basic Education Department, *etc.*.

In view of the vast work structure of the Commission, the modernization of examination processes in the era of modern information technology, and the need for a skilled and experienced personality for conducting fair, transparent, and time-bound examinations with integrity, it was decided to expand the eligibility criteria for selection to the post of Chairman by amending Section 4 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 15 of 2025) was promulgated by the Governor on November 18, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uccha Shiksha .

By order,

J. P. Singh-II,

Pramukh Sachiv.